भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2955
दिनांक 26 मार्च, 2025/ 05 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

दुष्कर्म के झूठे आरोपों के बढ़ते मामले

2955 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुष्कर्म के झूठे आरोपों के बढ़ते मामलों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर व्यक्त की गई चिंता के संबंध में मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्तमान में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों तथा सार्वजनिक संगठनों सहित अन्य संबंधित पक्षों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद संबंधित कानूनों में उचित संशोधन प्रस्तावित करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से प्रभावित महिलाओं को सहायता एवं सुरक्षा के लिए बनाए गए इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपराध (महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित) की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अन्य सभी अपराधों पर वरीयता दी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 2955, दिनांक 26.03.2025

नए आपराधिक कानूनों में झूठे मामले दर्ज करने को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कानूनों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग की सलाह देने के लिए भी सलाह/एडवाईजरी जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति पीड़ित न हो।

****